UD-D- 88/17

30/11/17 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अब उभयपक्ष उपस्थित।
प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी/
रेस्पोडेन्ट अब अधि. न्यायालय में उन्हें प्राप्त
स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री नहीं चाहते,
यह जाहिर करते है कि अपी. प्रतिवादीगण का
ही उक्त भूमि पर कब्जा है, तथा भूमि
अपीलान्ट के पूर्वजो ने क्रय कर ली थी।
उपरोक्त राजीनामे के कारण अब अधि. न्याया.
की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री का कोई
औचित्य नहीं रह जाने से अधि. न्याया.
की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अपास्त की
जाती है। प्रकरण में रेकार्ड खातेदार रेस्पो./
वादीगण व अपीलान्ट/प्रतिवादीगण विधि
अनुसार स्वेच्छापूर्वक न्यायालय से बाहर
भूमि हस्तान्तरण बाबत विधिक हस्तान्तरण/
विक्रय दस्तावेज निष्पादित करने को स्वतंत्र
है। राजीनामा अनुसार अधि. न्याया. की रेस्पो./
वादी के पक्ष में जारी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री
अपास्त की जाती है। डिक्री पर्चा जारी होकर
मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)